मौलिक अधिकार || Fundamental Rights

भाग || Part - 3 (Article - 12-35)

अधिकार :-

व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी जो की व्यक्ति द्वारा समर्पित उसकी स्वतंत्रता के बदले प्रदान की गई है।

अधिकारों के प्रकार

प्राकृतिक अधिकार :-

- ☞ प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के द्वारा मानव और पशु दोनो को प्रदान किए जाते है।
- ☞ प्राकृति अधिकारों का जनक जॉन लॉक है।
- ☞ इन अधिकारों में बोलने, सुनने, देखने इत्यादि आते हैं।

Right :-

A guarantee provided by the state to the individual in exchange for his freedom devoted by the individual.

Types of Rights

Natural Rights :-

- Natural rights are granted by nature to both human beings and animals.
- The father of natural rights is John Locke.
- These rights include speaking, hearing, seeing, etc.

मानव अधिकार

- मानव अधिकार विश्व के सभी मानवी को UNO के मानव अधिकार चार्टर 1948 के द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
- 10 Dec को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं।
- UNO के मानव अधिकार चार्टर मे 30 अनुच्छेद और 01 प्रस्तावना है।

मौलिक अधिकार

- मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों और गैर नागरिको को राज्य - के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं।
- ये नागरिको के मौलिक मूलभूत विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होते है।

Human Rights

- Human rights are provided to all human beings in the world by the UNO's Human Rights Charter 1948
- Human Rights Day is celebrated on December 10.
- The UNO's Human Rights Charter has 30 articles and 01 preamble.

Fundamental Right

- Fundamental rights are provided by the Constitution of a country to its citizens and non-citizens against the state.
- These are very important for the fundamental development of the citizens.

कानूनी अधिकार

- कानूनी अधिकार किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते है इन अधिकारों की प्राप्ती के लिए सूनी कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होता है, अत: इनकी प्राप्ती के लिए सीधे Supreme court और High Court नहीं जा सकते है।

Legal Rights

- Legal rights are provided by the legal system of a country, to get these rights, the established procedure of the sunni law has to be followed, so you cannot go directly to the Supreme Court and High Court for their realization.

विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास || History of Fundamental Rights in the World

- बिट्रेन के राजा किंग जॉन ने 1215 ई. में सर्वप्रथम ब्रिटेन के लोगों को अधिकारों का लिखित दस्तावेज दिया जिसे मैग्नाकार्टा कहते है ।
- रोगना का अर्थ है सर्वोच्च और कार्टा का अर्थ है दस्तावेज अत: यह मैग्नाकार्टा मूल अधिकारों का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। |
- King John of Britain first gave a written document of rights to the British people in 1215 AD, which is called Magna Carta.
- Rogna means supreme, and Carta means document. Hence, it is the highest written document of Magna Carta Fundamental Rights.

अमेरिका में मौलिक अधिकार का इतिहास || History of Fundamental Rights in America

- अमेरिका के संविधान में 04 March 1989 को मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया मौलिक अधिकारों के अध्याय को Bill of Rights कहते है।
- अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकारों के प्रावधान वाला विश्व का संविधान है।
- On March 4, 1989, fundamental rights were added to the United States Constitution

- The U.S. Constitution is the world's constitution with the provision of fundamental rights.

फ्रांस में मौलिक अधिकार का इतिहास || History of Fundamental Rights in France

- फ्रांस में के संविधान में 26 Aug 1789 में मौलिक अधिकार जोड़े गए ।
- इस अध्याय को नागरिकों और मानवों के लिए अधिकारों का दस्तावेज कहते है। (Be charter of Rights for Citizens and men.)
- Fundamental Rights were added to the Constitution of France on 26 August 1789.
- This chapter is called a document of rights for citizens and human beings. (Be charter of Rights for Citizens and men.)

- फ्रांस में के संविधान में 26 Aug 1789 में मौलिक अधिकार जोड़े गए ।
- इस अध्याय को नागरिकों और मानवों के लिए अधिकारों का दस्तावेज कहते है। (Be charter of Rights for Citizens and men.)
- Fundamental Rights were added to the Constitution of France on 26 August 1789.
- This chapter is called a document of rights for citizens and human beings. (Be charter of Rights for Citizens and men.)

भारत में मौलिक अधिकार का इतिहास || History of Fundamental Rights in India

1. 1895 में स्वाराज विधेयक में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई। (बाल गंगाधर तिलक)
2. 1925 में एनीवेसेंट के द्वारा कॉमन वेल्थ विल ऑफ नेशन में मौलिक अधिकारों की माँग रखी।
3. 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की लिखित मांग की।
4. 1931 के काँग्रेस - कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने मौलिक अधिकारों की मांग रखी।

5. In 1895, the Swaraj Bill first demanded fundamental rights. (Bal Gangadhar Tilak)
6. In 1925, the Ancient Nation demanded fundamental rights in the Common Wealth Bill of Nation.
7. In 1928, Motilal Nehru made a written demand for fundamental rights in the Nehru Report.
8. In the Congress-Karachi session of 1931, Sardar Patel demanded fundamental rights.
9. 1934 में सरकार की संयुक्त समिति ने मौलिक अधिकार को अस्वीकार कर दिया।

10.1935 के भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं गया।

11.1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों का विभाजन दो भागों में कर दिया।

1. मौलिक अधिकार

2. नीति निदेशक तत्व (DPSP)

- In 1934, the Joint Committee of the Government rejected the Fundamental Right.
- The Government of India Act of 1935 did not provide for fundamental rights. In 1945, the Tej Bahadur Sapru Committee divided the fundamental rights into two parts.
  1. Fundamental Rights
  2. Directive Principles of Policy (DPSP)

1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? || Which of the following statements is correct?

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था। || The Nehru Report (1928) supported the inclusion of fundamental rights in the Indian Constitution

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। || The Government of India Act, 1935 gave shelter to fundamental rights.

अगस्त प्रस्ताव, 1940 ने मौलिक अधिकार शामिल किए थे। || The August Resolution, 1940 incorporated fundamental rights.

क्रिप्स मिशन, 1942 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। || The Cripps Mission, 1942 gave shelter to fundamental rights.

उत्तर - (a)

Answer

व्याख्या - दिए गए कथनों में से कथन (a) सही है।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक आठ सदस्यों वाली समिति बनाई गई थी। इस समिति ने प्रस्तावित संविधान का, जो प्रारूप तैयार किया, उसे ही 'नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट में नागरिकता को परिभाषित करते हुए 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिशें की गई थीं। इसमें 21 वर्ष की आयु पूरा करने वाले लोगों के लिए मताधिकार को भी शामिल किया गया था।

2. मौलिक अधिकार क्या हैं? || What are Fundamental Rights?

A. वाद योग्य || Controversial

B. अवाद योग्य || Worthy of controversy

C. लचीले || Flexible

D. कठोर || hard

उत्तर - (a)

Answer

व्याख्या - मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, किन्तु असीमित नहीं है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। राज्य इन अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगा सकता है। संविधान के भाग ||| के अनुच्छेद 12-35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान मिलता है।

3. मौलिक अधिकार || Fundamental Rights

(a) कभी भी निलम्बित नहीं किए जा सकते || Can never be suspended

(b) प्रधानमन्त्री के निर्देशों से निलम्बित हो सकते हैं || Can be suspended by the instructions of the Prime Minister

(c) राष्ट्रपति की इच्छा पर निलम्बित हो सकते हैं || Can be suspended at the will of the President

(d) आपातकालीन स्थिति में निलम्बित किए जा सकते हैं || Can be suspended in case of emergency

उत्तर - (a)

Answer

व्याख्या - मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलम्बित किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मौलिक अधिकारों के निलम्बन सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों के निलम्बन से सम्बन्धित हैं, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के निलम्बन (अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर) से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलम्बित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलम्बित करने के लिए अधिकृत करता है।

4. अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि || Rights are called fundamental rights, because

1. यह संविधान में उल्लिखित होता है। || It is mentioned in the Constitution.

2. यह प्रजातान्त्रिक होता है। || It is democratic.

3. यह लोक कल्याणकारी होता है। || It is public welfare.

4. यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। || It is necessary for personality development.

5. संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। || Parliament cannot legislate against it.

कूट

(a) 1, 2 और 3

(b) 1, 3 और 5

(c) 1,4 और 5

(d) 2,3 और 5

उत्तर (c)

Answer

व्याख्या - अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान , में उल्लिखित होते हैं। ये व्यक्तिव विकास के लिए आवश्यक होते हैं। संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इन्हें संविधान द्वारा गारण्टी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धान्त है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के बहुआयामी विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं अध्यात्मिक) के लिए आवश्यक हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए इसे प्रभावी बनाया गया है। संसद मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ये अधिकार संसद के कानून निर्माण तथा क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। अनुच्छेद 18 के अन्तर्गत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है, जो मौलिक अधिकारों से असंगत है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार प्रजातन्त्र की स्थापना के भूल किन्तु इनकी प्रकृति प्रजातान्त्रिक नहीं है। मौलिक अधिकार लोक कल्याणकारी नहीं, बल्कि अधिकारों की गारण्टी देते हैं।

5. मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है || The key force of the concept of human rights is

(a) सम्पत्ति के अधिकार पर || On property rights

(b) समानता के अधिकार पर || On the right to equality

(c) धर्म के अधिकार पर || On the right to religion

(d) मानव होने के नाते मानव गरिमा पर || Being human is at human dignity

उत्तर (d)

Answer

व्याख्या - मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। यह मानव होने के नाते गरिमापूर्ण जीवन जीने से सम्बद्ध है। अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं; जैसे- अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता व कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ-ही-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में

भाग लेने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि । भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसका वर्णन संविधान के भाग III में किया गया है, जिसमें धर्म की स्वतन्त्रता भी समाहित है। संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ-साथ देश के अन्दर एवं बाहर आने-जाने की भी आजादी दी गई है।

6. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? || Which of the following statements are correct?

(a) अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं । || Rights are the claims of the state against the citizens.

(b) अधिकार वे विशेषाधिकार हैं, जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। || Rights are the privileges that are enshrined in the constitution of a state.

(c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। || Rights are the claims of citizens against the state.

(d) अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। || Rights are the prerogative of a few citizens against most people.

उत्तर (c)

Answer

व्याख्या - दिए गए कथनों में से कथन (c) सही है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे के रूप में प्रदान किए गए हैं, जिनका मूल उद्देश्य राज्य की मनमानियों से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं तथा विधानमण्डल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं।

7. निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों को 'हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता' कहा था? || Who among the following called fundamental rights 'a pledge to our people and an agreement with the civilized world'?

(a) अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं । || Rights are the claims of the state against the citizens.

(b) अधिकार वे विशेषाधिकार हैं, जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। || Rights are the privileges that are enshrined in the constitution of a state.

(c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। || Rights are the claims of citizens against the state.

(d) अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। || Rights are the prerogative of a few citizens against most people.

उत्तर (c)

Answer

व्याख्या - डॉ. एस. राधाकृष्णन ने कहा था कि "मौलिक अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। "

डॉ. एस. राधाकृष्णन का मानना था कि हमें राज्य के अतिक्रमण के विरुद्ध मानवीय आत्मा की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिए । आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए राज्य विनियमन आवश्यक है, इसे मानवीय भावना की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने संविधान सभा में कहा था, यह घोषणा जो हम आज करते हैं, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ एक समझौते की प्रकृति की है।

8. भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? || How many fundamental rights do Indians have?

(a) नौ || 9

(b) दस || 10

(c) सात || 7

(d) छः || 6

उत्तर (d)

Answer

व्याख्या - भारतीयों को कुल छः मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के भाग ||| में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं

(i) समानता का अधिकार अनुच्छेद (14-18)

(ii) स्वतन्त्रता का अधिकार अनुच्छेद (19-22)

(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद (23-24)

(iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

(v) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

मौलिक अधिकार || Fundamental Rights

भाग || Part - 3 (Article - 12-35)

- भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए है।
- संविधान के भाग - 3 को मैगनाकार्टा कहते हैं।
- मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते है।
- The fundamental rights in the Constitution of India are derived from the Constitution of America.
- Part III of the Constitution is called Magna Carta.
- Fundamental rights are granted against the state.

Article – 12

- राज्य की परिभाषा || Definition of State
- भारत की सरकार की संसद || Parliament of Government of India
- राज्य की सरकार का विधान मंडल || Legislature of the State Government
- सभी स्थानीय प्राधिकारी || All local authorities

अन्य प्राधिकारी || Other Authorities

- सोम प्रकाश बनाम भारत संघ (1981) (Som Prakash Vs Union of India)

(i) सरकार की संसाधन (Resources)

(ii) सरकार की कार्यविधि से संचालित (Functions)

(iii) पूर्व इतिहास सरकार का है (History)

- **जैसे:-**

☞ सभी राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalised Banks)

☞ भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र (ICAR- Indian Council of Agricultural Research)

☞ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (CSIR- Council for Scientific and Industrial Research)

☞ भारतीय खाद्य निगम (IFC - Indian Food Corporation)

☞ भारतीय इस्पात प्राधिकरण (ONGC - Oil and Natural Gas Commission)

☞ अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (IAA - International Airports Authority)

Article – 13

- इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो || Under this, the state will not make any law which is against the fundamental rights.

Article – 13 (1)

- संविधान से पूर्व की विधियाँ के बारे में प्रावधान || Provisions regarding pre-constitution laws. जैसे:- IPC, CRPC इत्यादि ।

Article – 13 (2)

- संविधान के लागू होने के बाद की विधियाँ के बारे में प्रावधान || Provisions regarding the laws after the commencement of the Constitution

Article – 13 (2)

- विष्पि की परिभाषा के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधियाँ, नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ, रूढ़िया और प्रथाएँ || Ordinances, Orders, Bye-laws, Rules, Regulations, Notifications, Customs and Practices under the definition of Vice-Chancellor

* **पृथकरनीयता का सिद्धांत (Doctrain of Serrability)**

- यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उस विधि का सिर्फ वह हिस्सों को अवैध- घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, सम्पूर्ण विधि नहीं। || If a law is against the fundamental rights, then only those parts of that law which are against the fundamental rights, not the whole law, will be declared illegal.

आच्छादंता का सिद्धांत (Doctrain of Eclipse)

- संविधान से पूर्व की कोई विधि यदि मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो ऐसी विधि को मौलिक अधिकार आच्छादित कर लेते है। || If any law before the Constitution is against the fundamental right, then such a law is covered as a fundamental right.

Article – 13 (4)

- इस अनुच्छेद को 24 वें संविधान संसोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया। || This article was added through the 24th Constitution Amendment 1971.
- शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार (1951) के केस में supreme court ने संविधान संसोधन को विधि की परिभाषा नहीं माना। || In Shankari Prasad v. Government of India (1951), the Supreme Court did not consider the Constitution Amendment as the definition of law.
- सज्जन सिंह बनाम राजस्थान (1965) संविधान संसोधन को विधि की परिभाषा को नहीं माना। || Sajjan Singh v. Rajasthan (1965) did not consider the Constitution Amendment as the definition of law.
- गोलकनाथ वाद (1967) संविधान संशोधन को विधि की परिभाषा के अंतर्गत माना। || The Golaknath suit (1967) considered the constitutional amendment under the definition of law.
- सरकार 24 वे संविधान संशोधन 1971 किया और अनुच्छेद - 13 (4) जोड़ दिया जिसमें संविधान संशोधन को विधि के तहत नहीं माना। || The government made the 24th Constitutional Amendment 1971 and added Article 13 (4) in which the Constitution Amendment was not considered under the law.
- 1973 के केशवानंद भारती वाद / केस में supreme court ने संविधान संशोधन को विधि नहीं माना परन्तु मूलभूत ढाँचे का सिद्धांत पेश किया। || Kesavananda Bharati case of

1973 In the case, the Supreme Court did not consider the constitutional amendment as a law but introduced the principle of basic structure.

- अत: संसद सरकार संविधान संशोधन के माध्यम् से मूलभूत ढाँचे को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। || Therefore, the Parliament government cannot influence the basic structure through a constitutional amendment.

Article || अनुच्छेद	Topic
14-18	समानता का अधिकार
19-22	स्वतंत्रता का अधिकार
23-24	शोषण के विरुद्ध
25-28	धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
29-30	शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार
32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार

समानता का अधिकार (Article - 14-18)

- Article 14
  अनुच्छेद-14 में दो प्रावधान हैं || There are two provisions in Article-14 :
    1. विधि के समक्ष समानता || Equality before law
    2. विधियों का समान संरक्षण || Equal protection of laws

विधि के समक्ष समानता के अपवाद || Exceptions to equality before law

- राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता । (Art-361) || No criminal case can be tried during the tenure of the President and the Governor. (Art-361)

- दिवानी मामले मे दो महिने का नोटिस देना आवश्यक है (अनुच्छेद-361) || Two months' notice is required in a civil case (Article 361)

- राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय के प्रत्येक न्यायलय में कोई जबाब देह नहीं है। || There is no answer in every court of law for the decision of the President and the Governor.
- संसद के सदस्यों संसद में कही गई किसी बात के लिए न्यायलय में जवाब देह नहीं हैं। (अनुच्छेद-105) || Members of Parliament are not answerable in the court for anything said in Parliament. (Article 105)
- राज्य विधान मंडल के सदस्य विधान मंडल में कहीं गई किसी बात के लिए न्यायलय में जवाब देह नहीं होगें ! (अनुच्छेद - 194) || Members of the State Legislature shall not be liable in the court for anything done anywhere in the Legislature. (Article 194)

विधि के समक्ष समानता के अपवाद || Exceptions to equality before law

- अनुच्छेद - 14 का उल्लंघन नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद - 39(B) और 39(c) को लागू करने के - लिए किया जा सकता है। || Article 14 can be violated to enforce Articles 39(B) and 39(c) of the Directive Principles of Policy.
- वियाना समझौता 1961 के तहत कूटनीतिज्ञों को विशेष प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है जिसके तहत कूटनीतिज्ञ के खिलाफ किसी कानूनी फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। || The Vienna Convention of 1961 gives diplomats special freedom under which no legal criminal case can be filed against a diplomat.

अनुच्छेद (Article) 15 (1)

- राज्य किसी नागरिक के साथ जाति (caste), धर्म (Religion), लिंग (Gender), जन्मस्थान (Place of birth), मूलवंश (Descent), के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं करेगा। || The State shall not discriminate against any citizen on the basis of caste, religion, gender, place of birth, descent.

अनुच्छेद 15 (Article) (2)

- राज्य और व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग , जन्मस्थान भा इन में से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा I ||The State and the Individual shall not discriminate against any citizen on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth or place of birth.

- दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलो, और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश में भेदभाव नहीं । || No discrimination in entry into shops, public eateries, hotels, and places of public entertainment.
- पूर्णत: या अंशतः राज्यनीधि से पोषित कुओं, तालाबों सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग मे भेद-भाव नहीं || There is no discrimination in the use of wells, ponds, places of public gathering wholly or partially funded by state funds.

अनुच्छेद (Article) 15 (1)

- अपवाद :-
- राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है ।
- जैसे:-
- मातृत्व लाभ अधिनियम - 1961
- घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम - 2005
- महिला आयोग - 1992

चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य (1951)

- राज्य के सांप्रादायिक (कम्युनल ऑर्डर) के खिलाफ चंपकम दोराई राजन ने Supreme Court में केस/ वाद किया जिसमें अनुच्छेद 15(4), 29 को आय के उल्लंघन का हवाला दिया राज्य अनुच्छेद- 46 का हवाला दिया। Supreme Court ने राज्य के आरक्षण को गलत साबित किया ।
- राज्य ने इसके विरुद्ध प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 (4) जोड़ा ।

अनुच्छेद (Article) 15 (4)

- राज्य SC/ST, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है ।
- शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद (Article) 15 (5)

- 93 वे संविधान संशोधन 2005 से जोड़ा गया ।

- उच्च शैक्षणिक संस्थानों में (11T, IIM AIIMS) इत्यादि में SC/ST और SEBC (Social Educationally Backward Caste) के लिए आरक्षण का प्रावधान ।

Champakam Dorai Rajan v. State of Madras (1951)

- Champakam Dorai Rajan files case in Supreme Court against communal order in state The suit cited Article 15(4), 29 of the State Article-46 citing violation of income. The Supreme Court proved the state's reservation wrong.
- The state added Article 15(4) against it through the first constitutional amendment.

(Article) 15 (4) :

- Champakam Dorai Rajan files case in Supreme Court against communal order in state The suit cited Article 15(4), 29 of the State Article-46 citing violation of income. The Supreme Court proved the state's reservation wrong.
- The state added Article 15(4) against it through the first constitutional amendment.

(Article) 15 (4) :

- Champakam Dorai Rajan files case in Supreme Court against communal order in state The suit cited Article 15(4), 29 of the State Article-46 citing violation of income. The Supreme Court proved the state's reservation wrong.
- The state added Article 15(4) against it through the first constitutional amendment.

(Article) 15 (4) :

- The state can make provision for reservation for SC/ST, socially and educationally backward people.
- Provides for reservation in educational institutions.

(Article) 15 (5) :

- The 93rd Constitutional Amendment was added in 2005.
- Provision of reservation for SC/ST and SEBC (Social Educationally Backward Caste) in higher educational institutions (11T, IIM AIIMS) etc.

(Article) 15 (6)

- संविधान के 103 के संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया।
- आर्थिक रूप से पिछड़े समान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान।

(Article) 16 (1) : - लोक नियोजन में समानता || Equality in Public Employment

- राज्य के अधिन किसी रोजगार में अवसर की समानता
- * नियुक्ति
- * नियोजन

(Article) 16 (2)

- राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति, उद्भव और निवास के स्थान पर राज्य किसी भी नागरिक भेद-भाव नहीं करेगा।

(Article) 15 (6)

- Section 103 of the Constitution was added through the Constitution Amendment 2019.
- Provision of 10% reservation for economically backward general category people.

(Article) 16 (1) : - लोक नियोजन में समानता || Equality in Public Employment

- Equality of opportunity in any employment under the State

* Appointment

* Employment

(Article) 16 (2)

- The State shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, gender, place of birth, caste, origin and place of residence.

Article 16(3) - अपवाद

- संसद विधि बनाकर निवास के स्थान पर भेद-भाव कर सकता है !
- जैसे:- हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा आंध्रप्रदेश इत्यादि !
- 371 (D) में आंध्र प्रदेश के लोगो के लिए विशेष प्रावधान (निवास के आधार पर) !

Article 16(4)

- राज्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व (Representation) पर्याप्त नहीं है विशेष प्रावधान कर सकता है ।
- अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग - का गठन करता है जो कि पिछड़ी जातियों के बारे में पहचान करता है ।
- अनुच्छेद- 340 के तहत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका- · कालेलकर आयोग 1953 में गठन किया गया ।
- * 1955 मे इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, इसकी रिपोर्ट पर सरकार ने कोई संग्यान नहीं किया ।
- 1979 में B.P. मंडल आयोग का गठन किया । इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, इस रिपोर्ट में 3743 जातियों को पिछड़ा कहा !

  (सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर)

- B. P. मंडल आयोग की रिपोर्ट को 1990 में B. P. Singh B.P. की सरकार में लागू किया जिसमे OBC को 27% का आरक्षण प्रदान किया !

Article 16(3) - Exceptions

- Parliament can make laws and discriminate against the place of residence!
- Such as: Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Andhra Pradesh etc.
- Special provision for the people of Andhra Pradesh in 371(D) (on the basis of residence)

Article 16(4)

- The state can make special provisions for backward class people whose representation is not adequate.
- Under Article 340, the President constitutes the Backward Classes Commission which identifies the backward castes.
- First Backward Class Commission under Article 340 The Kalelkar Commission was formed in 1953.
- In 1955, this commission submitted its report, the government did not take any cognizance of its report.
- In 1979, the B.P. Mandal Commission was formed. This commission submitted its report in 1980, in this report 3743 castes were called backward. (On social and educational grounds)
- The B.P. Mandal Commission report was implemented in 1990 by B.P. Singh's government in which 27% reservation was given to OBCs.

इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार (1992)

- इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार बाद केस मे (एच. एम. कनिया) 09 जजों की बेंच बनी जिसमें !

Judgement :-

✓ इसमें OBC आरक्षण को वैध कहा !

✓ समान्य वर्ग के 10% आरक्षण को अवैध कहा !

✓ प्रोन्नति (Promotion) में आरक्षण नहीं मिलेगा !

✓ क्रीमीलेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा !

✓ 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा !

सरकार का कदम : -

1. सरकार ने क्रीमी लेयर को पहचान करने के लिए रामनंदन समिति (1993) का गठन किया !
2. भारत तथा राज्य सरकार के Group'A' राज्य सरकार के Group 'A' आर्मी में कर्नल और उससे बड़े Rank के अधिकार सब क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते है !

3. सरकार ने 76 वे संविधान संशोधन 1994 के माध्यम् से तमिलनाडु राज्य को 69% के आरक्षण को वैध कर दिया !
4. 81 वा. संविधान संशोधन 2000
   - ✓ इसके माध्यम से सरकार ने बैंक लॉग मे 50%. की सीमा के उल्लंघन के प्रावधान
   - ✓ इसके माध्यम से अनुच्छेद 16 (4) (B) जोड़ा गया !
5. वर्तमान समय में पदोन्नति का आरक्षण का प्रावधान सिर्फ Sc, ST का आरक्षण 22.5% के लिए है!
6. OBC, EWS Category को पदोन्नति आरक्षण नहीं दिया गया !
7. देवदासन बनाम भारत सरकार वाद / केस (1964) कैरी फारवर्ड (carry forward) नियम से संबंधित है !

Government's move : -

1. The government formed the Ramanandan Committee (1993) to identify the creamy layer.
2. Group 'A' of the Government of India and the State Government, the rights of Colonel and above rank in the Group 'A' Army of the State Government come under the Creamy Layer.
3. The Government legalized the reservation of 69% to the State of Tamil Nadu through the 76th Constitutional Amendment 1994.
4. 81ST Constitution Amendment 2000
   - ✓ Through this, the government has made 50% of the bank logs. Provisions for violation of limits
   - ✓ Through this, Article 16(4)(b) was added.
5. At present, the provision of reservation for promotion is only for SC, ST reservation for 22.5%!
6. Promotion reservation was not given to OBC, EWS category!

Devdasan v/s Government of India The case (1964) relates to the carry forward rule.

अनुच्छेद || Article16 (5) : -

- राज्य किन्हीं धार्मिक संप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए विशेष धर्म के व्यक्ति को वरीयता दे सकता है !

  जैसे:- मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मदरसा आय राज्य विशेष द्वारा चर्च, दे सकता है ! धर्म के व्यक्तियों को वरीयता

अनुच्छेद || Article16 (6) : -

- इसको 103 के संविधान संशोधन 2019 के माध्यम् से जोड़ा गया (124 वा० विधेयक)
- इसके माध्यम से EWS Category को 10% का आरक्षण दिया गया है
- वर्तमान समय में

- OBC 27%
- Sc 15%
- ST *7.5%
- EWS - 10% का आरक्षण है

अनुच्छेद || Article16 (5) : -

- The state can give preference to a person of a particular religion for the management of any religious denominational institutions.

  For example, temples, gurudwaras, churches, madrasas can be given by the church, by the state! Preference to persons of religion

अनुच्छेद || Article16 (6) : -

- This was added through the Constitution Amendment 2019 of 103 (124th Bill).
- Through this, 10% reservation has been given to EWS category
  At the present time

- ✓ OBC 27%
- ✓ Sc 15%
- ✓ ST *7.5%

EWS - 10%

- जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हो
- 75 एकड़ से कम कृषि भूमि हों
- 1000 sqft. से कम आवास हो

Note :-

- ✓ भारत के संविधान में अनुच्छेद- 334 में 70 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान था परन्तु सरकार ने इसे बार-बार आगे बढ़ाया !
- ✓ वर्तमान में 104 वे संविधान संशोधन के माध्यम से 15 Jan 2030 तक के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है !

आरक्षण :-

- ✓ लोक सभा SC ST / अनुच्छेद-330
- ✓ आंगल भारतीय (Anglo-Indian)- अनुच्छेद- 331
- ✓ राज्य विधान मंडल अनुच्छेद-332
- ✓ आंगल भारतीय राज्य विधान - अनुच्छेद-: (Anglo-Indian in state)